40 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्र को बांटें। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत भी भेजे हैं जिससे कि लघु उद्योग क्षेत्र की ओर ऋण प्रवाह सुगम हो, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह व्यवस्था भी सम्मिलित है कि 25000 पये तक की ऋण सीमा वाले सभी आवेदनों का निपटारा एक पखवाड़े के भीतर हो जाना चाहिए तथा 2500 रुपये से अधिक के ऋण वाले सभी आवेदन 8 से 9 सप्ताह के अन्दर कर दिया जाये। लघ उद्योगों की ओर संस्थानात्मक ऋणों के प्रवाह तथा तत्सम्बन्धी अन्य मामलों की समीक्षा करने और इस क्षेत्र को ऋण देने की व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार करनेहेतु उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक स्थायी सलाहकार समिति भी नियुक्त की है। जून, 1986 के अंत में लघु उद्योग क्षेत्र के उधार लेने वाले एककों की संख्या 18,12,580 थी जिनके पास कुल 8321.04 करोड़ रुपये के बैंक ऋण थे जबकि 1985 के अंत में लघु उद्योग क्षेत्र के उधार लेने वाले 15,58,000 रुपये का एककों के पास कुल 7207.64 करोड़ ऋण था।

लघु उद्योगों के विकास, विस्तार, आधुनिकीकरण और पुनर्वास हेतु वित्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में मई 1986 के दौरान एक लघु उद्योग विकास निधि की स्थापना की गयी थी जिसमें आरंभिक राशि 2500 करोड़ रुपये की थी। नए एककों की स्थापना करने तथा जीव्यक्षम रूग्ण एककों के पुनर्वास हेतु लघु उद्यमियों को इक्विटी सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्थापित करने की भी घोषणा की है।

मार्च 1986 तक राज्य वित्त निगमों द्वारा 207819 लघु उद्योग एककों को 3579.97 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

रूग्ण औद्योगिक एककों को पुनरूज्जीवित करनेहेतु भारत सरकार एक सीमांत धन योजना चला रही है जिसके अंतर्गत राज्यों को समान आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 1983 से 86 की तीन वर्ष की अवधि में राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रशासनों को 142.90 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी थी। इस योजना को जून 1987 में उदार बनाया गया था। संशोधित योजना में सहायता की अधिकतम सीमा 20,000 रुपये प्रति एकक से बढ़कर 50,000 रुपये प्रति एकक कर दी गयी है।

Workers' participation in coal industry

3462. PROF. N. M. KAMBLE: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the report of the Committee of Representatives of Central Trade Unions constituted to evolve a commonly acceptable scheme for workers' participation in management in coal industry has been received; and

(b) if so, whether the scheme to constitute Joint Management Commitees at unit level has been implemented?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b) The report of the Committee of trade union leaders set up for evolving an acceptable procedure for selecting workers' representatives under the scheme of workers' participation in management at unit level in the coal industry has been received. The Committee could not, however, workout a scheme acceptable to all the trade unions. In the circumstances, the Labour Ministry's scheme for workers' participation in management announced in 1983 is being implemented with workers' represetatives selected by consensus.

भोपाल गैस पीड़ितों का पुनर्वास

3463. श्री केशव प्रसाद शुक्ल :
श्रीमती वीणा वर्मा :
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार भोपाल गैस पीड़ित के पुनर्वास के लिए एक